

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं०सं०-03/प्र०-आवंटन (MMGPY)-14-05/2024 130

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 5/3/2025

विषय- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" हेतु कुल 1,49,00,000/- (एक करोड़ उन्नचास लाख) रु० मात्र की राशि की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं०-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र ०	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय उपबंध	विभागीय स्वीकृ त्यादेश सं०-520, 08, 48, 67 एवं 86 के द्वारा स्वीकृत राशि	शेष राशि	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि
	1	2		4	5
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष -00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47- 3055007890101 विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी	20,00,00,000/-	4,84,00,000/-	15,16,00,000/-	1,49,00,000/-
2	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष -00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47- 3055007960101 विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी	2,00,00,000/-	1,02,70,000/-	97,30,000/-	0.00
	कुल -	22,00,00,000/-	5,86,70,000/-	16,13,30,000/-	1,49,00,000/-

- इस राशि को जिला पदाधिकारी, गया, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर एवं खगड़िया को आवंटित किया जायेगा। जिला पदाधिकारी, गया, सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर एवं खगड़िया द्वारा इसे संबद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपावंटित किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन संचिका संख्या-03/परि० (योजना)-14-14/2018 के पृष्ठ-11/टि० पर दिनांक-28.08.2018 को प्राप्त है।

5/3/2025
अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 5/3/2025

ज्ञापांक:- 130

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 130

पटना, दिनांक- 5/3/2025

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 130

पटना, दिनांक- 5/3/2025

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- 130

पटना, दिनांक- 5/3/2025

प्रतिलिपि:- आई टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सामग्री को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाये तथा इसे सभी संबंधितों को ई-मेल किया जाय ।

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना